

अचल सम्पति का विवरण वर्ष

2024

अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम

AKASH DHANOREYA

3. वर्तमान वेतन

रुपयोगी उपनियंश नाम तात्पर्य

उम्मीदित उप सम्भाग
तालूक तथा ग्राम का
नाम जिसमें सम्पत्ति
स्थित हो

सम्पत्ति का नाम तथा घोर
गृह तथा अन्य भवन या भूमि

वर्तमान मूल्य

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
दरावे कि वह किसके नाम पर
घारित है और उसका शासकीय
कर्मचारी से वया संबंध है।

2. पद..... अध्यक्ष-2

4. वेतनवृद्धि की अगली तिथि

07-2025

सम्पत्ति से
शासकीय आय
अन्युक्ति

1	मैन नाहुल शुभिपर 900 वर्गफीट (लगभग)	2	वर्तमान नाम	3	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो दरावे कि वह किसके नाम पर घारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से वया संबंध है।	4	उसे किस प्रकार अर्जित किया खीदा पट्टा, बंडल, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उस का नाम तथा घोरा	5		6

JABHPUR Dated: 31/12/2024

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

1. जो लागू हो काट दीजिये । 2. ऐसे मामले में जहा मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ
में लगभग मूल्य बतलाया जाए । 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी - म.प्र. शासकीय सेवक (आधरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा वे पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्यक्ष भारत महाने की अवधि के पश्चात मह. 12000 प्रत्र गर कर प्रत्युत करे और उसमें यह उसका रखायित की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्यया उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर या उसके द्वारा रखाया अचल-सम्पत्ति का घोरा देये ।

अधिकारी द्वारा दिया गया रिपोर्ट-2
(म.प्र.)



Scanned with OKEN Scanner